राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील / टी.ए. / 2004 / 12728 / सवाई माधोपुर।

1— छीतरया पुत्र वजीरा (फौत) जरिये वारिसान :—
- 1/1. रक्खी बेवा छीतरया,
- 1/2. सलीमुद्दीन पुत्र छीतरया,
- 1/3. सराउदीन पुत्र छीतरया,
- 1/4. नूरदीन पुत्र छीतरया,
- 1/5. अनसार पुत्र छीतरया,

समस्त ग्राम पचीपुल्या पोस्ट आटूनकलां तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
- 1/6. मोबीन पुत्री छीतरया पत्नी नसीरूदीन निवासी शेषा तहसील मलाना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।
- 1/7. जेबून पुत्री छीतरया पत्नी हारून निवासी ग्राम दोन्दरी तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

2— मुंश्या पुत्र वजीरा (फौत) जरिये वारिसान :—
- 2/1. नसरूदीन पुत्र मुंश्या,
- 2/2. शाहबुदीन पुत्र मुंश्या,

समस्त ग्राम पचीपुल्या तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
- 2/3. गुड्डी पत्नी शाहबुदीन पुत्री मुंश्या निवासी भरवोली तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
- 2/4. जुलीफन पत्नी नसरूदीन पुत्री मुंश्या निवासी दोबडा कलां तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
- 2/5. रबो पत्नी नरूदीन निवासी भरवोली तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
- 2/6. तोफन पत्नी पप्पू पुत्री मुंश्या निवासी भरवोली तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
- 2/7. लल्लो पत्नी वकीलदीन पुत्री मुंश्या निवासी भरवोली तहसील जिला सवाई माधोपुर।
- 2/8. रखी बेवा मुंश्या निवासी पचीपुल्या तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

3— सुबराती पुत्री ईदया निवासी ग्राम पचीपुल्या तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

4— अली मोहम्मद उर्फ छंगा पुत्र ईदया।

5— धोली पुत्री ईदया पत्नी लतीफ निवासी फसलावटा तहसील बोली जिला सवाई माधोपुर।

6— हजरात पुत्री ईदया पत्नी इकतयार निवासी भारजा तहसील बोली जिला सवाई माधोपुर।

7— जुमरत पुत्री ईदया पत्नी मजीद निवासी मलराना तहसील बोली जिला सवाई माधोपुर।

8— जनत पुत्री ईदया पत्नी बदरू निवासी शेषा निवासी बोली जिला सवाई माधोपुर।

9— रोहसीन पुत्री ईदया पत्नी मुमताज निवासी फलवटा तहसील बोली जिला सवाई माधोपुर।

—— अपीलार्थीगण

बनाम

1— मु0 हाजरा पुत्री मेहताब पत्नी फरियाद जाति मुसलमान निवासी करमोदा तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

2— राजस्थान सरकार।

—— प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री केसरलाल मीणा,सदस्य
श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य

———

उपस्थितः–
श्री एस. पी. औझा, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण।
प्रत्यर्थी स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित।

———

निर्णय

दिनांकः– 02/02/2026.

1– हस्तगत द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा अपील संख्या 60/1988 बउनवानी मूली वगैरह बनाम छीतरया वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 26–03–1999 के विरूद्ध पेश की गई है, जिसके माध्यम से न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) सवाई माधोपुर द्वारा प्रकरण संख्या 259/87 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13–10–1988 को खारिज कर पुनः गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने का निर्णय पारित किया गया।

2– अपील ज्ञापन के अनुसार हस्तगत प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम पचीपला तहसील सवाई माधोपुर स्थित खसरा संख्या 175, 263, 266, 277, 283, 561, 562, 579, 723, 284, 576, 578, 563, 565, 574 कुल किता 15 कुल रकबा 34 बीघा 4 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में ईदया, छीतरया, महताब व मुरया पुत्रान वजीरा के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि बाबत् मृतक महताब की पत्नी व पुत्री मु0 भूली व हाजरा ने वाद सक्षम न्यायालय में पेश किया, जिसमें वर्ष 1976 में पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने पर वाद संख्या 269/76 में जरिये राजीनामा दिनांक 19–08–1976 को डिक्री हुआ तथा उक्त डिक्री के अनुसार मु0 भूली ने अपने हिस्से में 3 बीघा 6 बिस्वा भूमि आना मानकर उसे स्वीकार कर लिया तथा उक्त निर्णय दिनांक 19–08–1976 की कोई अपील भी प्रस्तुत नहीं की। तत्पश्चात् उक्त राजीनामा व डिक्री होने के बावजूद भी मृतक महताब की पत्नी व पुत्री ने वर्ष 1986 में अपीलार्थी/प्रतिवादीगण के विरूद्ध न्यायालय सहायक जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के यहां वाद पेश किया। अपीलार्थीगण ने अपना जवाब दावा पेश करते हुए वाद संख्या 259/87 को रेसज्यूडिकेटा व वादीगण के विरूद्ध एस्टोपल का कथन करते हुए वाद को खारिज करने का निवेदन किया। सहायक कलक्टर सवाई माधोपुर ने उभय पक्ष की बहस सुनकर उक्त वाद संख्या 259/87 को वाद

संख्या 269/76 के प्रभाव से रेसज्यूडिकेटा मानते हुए निर्णय दिनांक 13–10–1988 से खारिज कर डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय दिनांक 13–10–1988 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के समक्ष अपील पेश की गई, जिसे अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26–03–1999 के द्वारा स्वीकार करते हुए उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 13–10–1988 को खारिज कर प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील मण्डल में पेश की है।

3– समुचित व पर्याप्त अवसर दिये जाने एवं बार–बार आवाजें लगवाये जाने के उपरांत भी प्रत्यर्थी स्वयं अथवा इनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे, जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई।

4– दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि दिनांक 19–08–1976 को वाद संख्या 269/76 में पारित डिक्री वाद संख्या 259/87 पर रेसज्यूडिकेटा का प्रभाव रखती थी। दोनों डिक्रीयों में समान विषयवस्तु, समान पक्षकार तथा एक समान अनुतोष था जबकि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि जो नजीरे अपीलार्थीगण के वकील द्वारा रेसज्यूडिकेटा बाबत् पेश की गई हैं वह प्रस्तुत प्रकरण पर लागू होती है और उनसे न्यायालय सहमत भी था तथा पक्षकारों के मध्य हुए राजीनामे को भी माना परंतु अपील को केवल इस आधार पर रिमाण्ड किया गया कि पक्षकारान की जो भाषा राजीनामें में लिखी है उससे अवगत नहीं कराया गया। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि जब एक बार रेसज्यूडिकेटा का प्रिंसीपल लागू होना मान लिया गया तो प्रकरण को रिमाण्ड करने का कारण शेष नहीं रहता हैं। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को यह अधिकार नहीं था कि वह वाद संख्या 269/76 की डिक्री के पीछे जाकर नये वाद में अपना आदेश पारित करें तथा निर्णय व डिक्री दिनांक 18–08–1976 वाद संख्या 269/76 को इंटरप्रेट कर अथवा संशोधन करे। विशेषतः जब अपीलीय न्यायालय निर्णय दिनांक 19–08–1976 की डिक्री व राजीनामे को पूर्ण रूप से मानता हो। यदि कोई कमी निर्णय व डिक्री दिनांक 19–08–1976 में थी तो प्रोपर कोर्स यह था कि वादीगण उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 19–08–1976 की अपील पेश करते। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजीनामे के समझाये न जाने के कारण नये वाद को विचारित नहीं कर सकता है। चूंकि

पक्षकारान के विरूद्ध एस्टोपल के सिद्धांत भी लागू होते है। जब मातहत न्यायालय को उक्त वाद संख्या 259/87 के विचारण का अधिकार ही नहीं था तो उसे अपीलीय न्यायालय कोई नया ज्यूरिडिक्शन देने में समर्थ नहीं था। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि दिनांक 19–08–1976 की डिक्री के विरूद्ध कोई अपील उनके समक्ष नहीं थी। किसी राजीनामे की भाषा पक्षकारों को अवगत थी या नहीं, यह तथ्य केवल दिनांक 19–08–1976 की डिक्री की अपील अथवा रिव्यू में उठाया जा सकता था, न कि एक नये वाद के जरिये। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 19–08–1976 की कोई अपील पक्षकारों द्वारा नहीं करने का अर्थ यही लगाया जायेगा कि पक्षकारों ने उसे स्वीकार कर लिया और वह अंतिम है। बिना निर्णय व डिक्री दिनांक 19–08–1976 की अपील किये इसके विरूद्ध कोई अनुतोष किसी नये वाद में नहीं दिया जा सकता है। वास्तविक स्थित विचारण न्यायालय व अपीलीय न्यायालय दोनों ने स्वीकार कर ली है कि दिनांक 19–08–1976 के निर्णय व डिक्री रेस्ज्यूडिकेटा का प्रभाव रखते है। अतः निर्णय दिनांक 26–03–1999 फ्यूटाईल एक्ससाईज ऑफ पॉवर्स होने से निरस्तनीय है। अतः प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपील संख्या 60/88 में पारित निर्णय दिनांक 26–03–1999 को अपास्त करते हुए निर्णय दिनांक 13–10–1988 को यथावत् रखे जाने का निवेदन किया गया।

5– अधिवक्ता अपीलार्थीगण की बहस सुनकर पत्रावली का संबंधित विधि के परिप्रेक्ष्य में ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर यह निर्विवाद स्वीकृत तथ्य है कि ग्राम पचीपला तहसील सवाई माधोपुर स्थित विवादित भूमि बाबत् मृतक महताब की पत्नी मु0 भूली व पुत्री हाजरा द्वारा विरूद्ध अपीलार्थी/प्रतिवादीगण छीतरया वगैरह एक वाद संख्या 269/76 पेश किया गया जिसमें पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने पर उक्त वाद बरूह राजीनामा दिनांक 19–08–1976 को डिक्री हुआ। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि प्रत्यर्थी/वादीगण द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध 10 वर्ष पश्चात् पुनः नया वाद 259/1987 प्रश्नगत भूमि बाबत् समान पक्षकारों के विरूद्ध इस आधार पर पेश किया गया कि विवादित भूमि में उनके पति महताब का 1/4 हिस्सा है लेकिन महताब के मरने के बाद मु0 भूली ने राजीनामा पेश करवा कर 1/4 भूमि देने की बजाय मात्र 3 बीघा 6 बिस्वा भूमि ही दी गई जो उसके 1/4 हिस्से के लगभग आधी ही है। मु0 भूली ने विवादित भूमि को डाक्टर मोहम्मद अहमद को दिनांक 05–03–1986 को बेचान कर दी। जब उसे पता चला

कि उसको 1/4 भूमि नहीं मिली तो वर्ष 1986 में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष घोषणा व तकासमा का वाद पेश किया। उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13–10–1988 से प्रत्यर्थी/वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद संख्या 259/87 को पूर्व न्याय (रेसज्यूडिकेटा) के तहत् बाधित होने के कारण खारिज कर दिया।

6– हस्तगत प्रकरण में हम स्थिति को देखे तो उभय पक्ष के मध्य विचारित वाद संख्या 269/76 पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से हुए राजीनामा के आधार पर डिक्री हुआ है तथा उक्त राजीनामा को प्रत्यर्थी व अपीलार्थीगण दोनों पक्षकार स्वीकार करते है तथा प्रत्यर्थी/वादीगण ने उक्त राजीनामा को अवैध व फर्जी होना नहीं बताया है केवल मात्र कम भूमि दिये जाने के कारण पुनः वाद न्यायालय सहायक कलक्टर सवाईमाधोपुर के समक्ष खातेदारी घोषणा का पेश किया गया। इस संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा–11 का अवलोकन किया जाये तो ''कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के, जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते है, किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य रहा है जो ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का जिसमें ऐसा विवाद्यक बाद में उठाया गया हे, विचारण करने के लिये सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है।''

7– हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान के मध्य विवादित भूमि बाबत् पूर्व में विचारित वाद संख्या 269/76 राजीनामे अनुसार डिक्री किया जा चुका था तो प्रत्यर्थी को पुनः उसी विवादित भूमि को लेकर खातेदारी घोषणा हेतु समान पक्षकारों के विरूद्ध नया वाद लाने का अधिकार नहीं है। विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी/वादीगण का वाद रेसज्यूडिकेटा के तहत् बाधित माना है, किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में वाद को एक ओर रेसज्यूडिकेटा के तहत् बाधित होना माना है किन्तु दूसरी ओर राजीनामे में लिखी भाषा से अवगत नहीं करवाये जाने के आधार पर पुनः नये वाद के माध्यम से पूर्व वाद में जरिये राजीनामा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त करने में भी गंभीर त्रुटि कारित की है। प्रथमतः प्रत्यर्थी/वादीगण ने राजीनामे को अवैध व फर्जी होना नहीं बताया है एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी राजीनामा पक्षकारों के मध्य होना स्वीकार किया है, किन्तु राजीनामा में लिखी भाषा को अपीलार्थीगण को अवगत नहीं कराये जाने

के आधार पर प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित किया है। द्वितीयतः यदि प्रत्यर्थी/वादीगण राजीनामे में लिखी इबारत से व्यथित थे अथवा उन्हें हिस्सेनुसार कम भूमि दी गई थी तो इस संबंध में पूर्व वाद में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19–08–1976 की अपील करते अथवा नजरसानी प्रस्तुत करते, किन्तु हस्तगत प्रकरण में प्रत्यर्थी/वादीगण ने ऐसा नहीं करते हुए विचारण न्यायालय के समक्ष पुनः नया वाद खातेदारी घोषणा हेतु पेश कर दिया जो उक्त तथ्यों के आलोक में स्पष्टतः पूर्व न्याय के सिद्धांत अर्थात् रेसज्यूडिकेटा के तहत् वर्जित है। विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 13–10–1988 से पश्चातवर्ती वाद संख्या 259/87 को रेसज्यूडिकेटा के बाधित होने के आधार पर खारिज किया है। जब विचारण न्यायालय को वाद संख्या 259/87 के विचारण का अधिकार नहीं था तो अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय पश्चातवर्ती वाद के आधार पर नये क्षेत्राधिकार का सृजन नहीं कर सकता है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय में पश्चातवर्ती वाद को पूर्व न्याय के सिद्धांत से बाधित तो माना लेकिन वास्तविक स्थिति का पता चलने के आधार पर प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने में गंभीर त्रुटि कारित की है। इस खण्ड पीठ के विनम्र मत में किसी राजीनामे की भाषा पक्षकारों को अवगत थी अथवा नहीं, यह तथ्य केवल निर्णय दिनांक 19–08–1976 की डिक्री की अपील अथवा रिव्यू के माध्यम से उठाई जा सकती है, न कि एक नये वाद के जरिये। प्रत्यर्थी/वादीगण ने उक्त निर्णय व डिक्री की कोई अपील नहीं करते हुए पुनः नया वाद संख्या 259/87 पेश किया है जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से स्वीकार करते हुए पूर्व वाद संख्या 269/76 में पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामे के आलोक में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19–08–1976 को खारिज करने एवं प्रकरण पुनः पक्षकारों को सुनकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 19–08–1976 के पुनर्विलोकन किये जाने का क्षेत्राधिकारातीत निर्णय प्रदान करने में गंभीर त्रुटि कारित की है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार एवं प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हस्तगत द्वितीय अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

8– परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा अपील संख्या 60/1988 बउनवानी मु0 मूली वगैरह बनाम छीतरया वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 26–03–1999 को अपास्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर

सवाई माधोपुर द्वारा प्रकरण संख्या 259/87 में पारित निर्णय दिनांक 13–10–1988 को यथावत रखा जाता है।

इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख भिजवाया जाये। उक्त निर्णय की सूचना पक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण दी जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा) **(केसर लाल मीणा)**

सदस्य **सदस्य**